



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022026-270302  
CG-DL-E-19022026-270302

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 863]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2026/माघ 29, 1947

No. 863]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2026/MAGHA 29, 1947

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 903(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हरिद्वार से अदानी पावर लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक एक स्टेटर और सीमेंस ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कलवा, ऐरोली, महाराष्ट्र से पावरग्रिड एन्चवीडीसी तालचर स्टेशन, कनिहा, ओडिशा तक एक कन्वर्टर ट्रांसफार्मर सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आयाम इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

### अनुसूची

- मैसर्स आरआरसी ग्लोबल रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड एक स्टेटर और एक कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूर्वर्स का उपयोग संबंधित माल की आवाजाही में किया जाएगा, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र. सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
1.	एचआर-63ई-0072	वॉल्वो-500
2.	एनएल-01एच-7772	वॉल्वो-500
3.	एचआर-63डी-0072	वॉल्वो-520
4.	एनएल-02एन-4585	वॉल्वो-440
5.	एचपी-38-एच-4683	वॉल्वो-520
6.	एनएल-01-एजे-5572	वॉल्वो-500
7.	एनएल-01-एके-1472	वॉल्वो-500

3. उपरोक्त आवाजाही में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रैलरों का उपयोग किया जाएगा :-

क्र.सं.	ट्रैलरों का पंजीकरण क्रमांक	मेक	ट्रैलरों में धुरीयों की संख्या	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
1.	एचआर-55एएन-3713	टी ॥	4	72
2.	एचआर-55एएन-4460	टी ॥	4	72
3.	एचआर-55एएन-3953	टी ॥	4	72
4.	एचआर-55एएन-6484	टी ॥	4	72
5.	एचआर-55एपी-3596	टी ॥	6	108
6.	एचआर-55एपी-4291	टी ॥	6	108
7.	एचआर-55एक्यू-3169	टी ॥	6	108
8.	एचआर-55एक्यू-9566	टी ॥	6	108
9.	एचआर-63एफ-0450	टी ॥	4	72
10.	एचआर-63एफ-7622	टी ॥	4	72
11.	एचआर-63एफ-4168	टी ॥	4	72
12.	एचआर-63एफ-7052	टी ॥	4	72
13.	एचआर-63-एफ-6530	टी ॥	4	72
14.	एचआर-63एफ-1292	टी ॥	4	72

4. वाहन और भार विन्यास:- लदान स्थिति में धुरीयों का सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) और माल का समग्र आयाम निम्नलिखित होगा:-

विवरण	अलदा भार (धुरी) ठन में (एमटी)	माल का वजन (एमटी)	वाहन का भार	वाहन की	माल का समग्र आयाम	लंबाई और	
			लदान भारप्रति (एमटी)	धुरी पंक्ति (एमटी)	लदान ऊँचाई (मीटर में)	चौड़ाई में धुरियों की युग्मन का विवरण	
					लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	ऊँचाई (मी.)

स्टेटर	84	466.3	550.3	22.93	6.15	10.225	5.09	4.9	16(1+1/2) धुरी पंक्ति ( 24 धुरी पंक्ति के समतुल्य) धुरी की चौड़ाई में जोड़े जाएंगे ( प्रति धुरी पंक्ति में 12 टायर )
	128+ 130 (गर्डर पुल) 258	=466.3	724.3	22.6	6.675	10.225	5.09	4.9	16 धुरी पंक्ति + गर्डर ब्रिज + 16 धुरी पंक्ति (32 धुरी पंक्ति के समतुल्य) सीधी लाइन में जोड़े जाएंगे। (प्रति धुरी पंक्ति में 8 टायर )
	144+130 (गर्डर पुल) =274	466.3	740.3	20.56	6.675	10.225	5.09	4.9	18 धुरी पंक्ति + गर्डर ब्रिज + 18 धुरी पंक्ति (36 धुरी पंक्ति के समतुल्य) सीधी लाइन में जोड़े जाएंगे (प्रति धुरी पंक्ति में 8 टायर )
कनवर्टर ट्रांसफार्मर	72	318	390	19.5	6.250	10.6	4.9	5.05	20 धुरी पंक्ति को सीधी लाइन में जोड़ा जाएगा (प्रति धुरी 8 टायर )
	112+130(गर्डर पुल) = 242	318	560	20	5.510	10.6	4.9	5.05	14 धुरी पंक्ति + गर्डर ब्रिज + 14 धुरी पंक्ति (28 धुरी पंक्ति के बराबर) को सीधी लाइन में जोड़ा जाएगा (प्रति धुरी पंक्ति में 8 टायर )

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है कि:-

i. अति आयामी प्रेषित माल के परिवहन का विशिष्ट मार्ग निम्नानुसार होगा:

एक स्टेटर के परिवहन के लिए हरिद्वार स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित अदानी पावर लिमिटेड तक सड़क मार्ग से-

बीएचईएल, हरिद्वार-सड़की-मुजफ्फरनगर-मेरठ-मोदीनगर-पलवल-आगरा-धौलपुर-झांसी-ललितपुर-सागर-राजमार्ग चौराहा-लखनादौन-सिवनी-नागपुर-सकोली-राजनादगांव-रायपुर- अदानी परियोजना स्थल-लगभग - 1550 किमी होकर जाना होगा। और;

एक कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के परिवहन के लिए महाराष्ट्र के ऐरोली स्थित सीमेंस ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कालवा से ओडिशा के कनिहा स्थित पावरग्रिड एचवीडीसी तालचर स्टेशन तक के सड़क मार्ग से-

ऐरोली - महापे - शिलफाटा - कल्याण - पडगा - शाहपुर - कसारा - इगतपुरी - नासिक - चंदवाड - मालेगांव - धुले - जलगांव - अजंता - जाफराबाद - चिकली - खामगांव - अकोला - अमरावती - नागपुर - भंडारा - साकोली - राजनादगांव - रायपुर - सरायपाली - संभलपुर - देवगढ़ - पलाहारा - तालचर - कनिहा - लगभग 1811 किमी।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकरणों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारणों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा ट्रैलरों की आवाजाही को अनुमोदित किया जाएगा और कड़ी निगरानी की जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा, जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, वाहनों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, खंभो, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद करने इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स आरआरसी ग्लोबल रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर, बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक आवाजाही के लिए संबंधित प्राधिकारण द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारणों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./वंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में सड़क कर (रोड टैक्स) का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पंजीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xvi) संबंधित माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

(xvii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।

(xviii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरबी, अंडरपास न हों जो संबंधित आवागमन में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न करते हों, अथवा इस अनुमति में आरबी/एफओबी/ओवरपास शामिल नहीं होंगे, इसके लिए आवेदक को ओडीसी/ओडब्ल्यूसी के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाना होगा।

(xix) ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01 /2010-एस एंड आर (बी) पीटी-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/02/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2026

**S.O. 903(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one Stator from Bharat Heavy Electrical Limited, Haridwar to Adani Power Limited, Raipur, Chhattisgarh and One Converter Transformer from Siemens Transformer Factor Kalwa, Airoli, Maharashtra to Powergrid HVDC Talchar Station, Kaniha, Odisha by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

### SCHEDELE

- M/s RRC Global Roadways Private Limited is the transporter for the transportation of one Stator and one Converter Transformer.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	HR-63E-0072	VOLVO-500
2.	NL-01AH-7772	VOLVO-500
3.	HR-63D-0072	VOLVO-520
4.	NL-02N-4585	VOLVO-440
5.	HP-38-H-4683	VOLVO-520
6.	NL-01-AJ-5572	VOLVO-500
7.	NL-01-AK-1472	VOLVO-500

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR-55AN-3713	TII	4	72
2.	HR-55AN-4460	TII	4	72
3.	HR-55AN-3953	TII	4	72
4.	HR-55AN-6484	TII	4	72
5.	HR-55AP-3596	TII	6	108
6.	HR-55AP-4291	TII	6	108
7.	HR-55AQ-3169	TII	6	108
8.	HR-55AQ-9566	TII	6	108
9.	HR-63F-0450	TII	4	72
10.	HR-63F-7622	TII	4	72
11.	HR-63F-4168	TII	4	72
12.	HR-63F-7052	TII	4	72
13.	HR-63F-6530	TII	4	72
14.	HR-63F-1292	TII	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

Description	Unladen Weight of axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load of Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
						L (m)	W (m)	H (m)	
Stator	84	466.3	550.3	22.93	6.15	10.225	5.09	4.9	16(1+1/2) axle rows(Equivalent to 24 Axle rows) will be Coupled in axle width (12 tyres per axle row)

	128+130 (Girder bridge) 258	466.3	724.3	22.6	6.675	10.225	5.09	4.9	16 axle rows + Girder Bridge + 16 axle rows(Equivalent to 32 axle rows) will be Coupled in straight line. (8 tyres per axle row)
	144+130 (Girder bridge)=274	466.3	740.3	20.56	6.675	10.225	5.09	4.9	18 axle rows + Girder Bridge + 18 axle rows( equivalent to 36 axle rows) will be coupled in straight line (8 tyres per axle row)
Converter Transformer	72	318	390	19.5	6.250	10.6	4.9	5.05	20 axle rows will be Coupled in straight line (8 tyres per axle)
	112+130(Girder bridge)= 242	318	560	20	5.510	10.6	4.9	5.05	14 Axle rows + Girder Bridge + 14 axle rows (Equivalent to 28 axle rows) will be coupled in straight line (8 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

i. The specific route for transportation of the over dimensional consignment will be as under:

For transportation of one stator from Bharat Heavy Electrical Limited, Haridwar to Adani Power Limited, Raipur, Chhattisgarh by road through-

BHEL, Haridwar-Roorkee-Muzzfernagar-Meerut-Modinagar-Palwal-Agra-Dholpur-Jhansi-Lalitpur-Sagar-Rajmarg Choraha-Lakhnadon-Seoni-Nagpur-Sakoli-Rajnandgaon-Raipur- Adani Project Site-Approx -1550 km and;

For transportation of one converter transformer from Siemens Transformer Factor Kalwa, Airoli, Maharashtra to Powergrid HVDC Talchar Station, Kaniha, Odisha by road through-

Airoli – Mahape – Shilphata – Kalyan – Padhga – Shahapur – Kasara – Igatpuri – Nasik – Chandvad – Malegaon – Dhule – Jalgaon – Ajanta – Jafrabad – Chikli – Khamgaon – Akola – Amravati – Nagpur – Bhandara – Sakoli – Rajnandgaon – Raipur – Saraipali – Sambhalpur – Deogarh – Palahara – Talchar – Kaniha - 1811 km Apporox

ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.

iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line

shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s RRC Global Roadways Private Limited.

- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Haryana, Himachal Pradesh and Nagaland.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.
- xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.
- xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs,RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the applicant shall make diversions for movement of ODC/OWC.
- xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/02/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.